FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन जिला बाड़मेर

गौतमदास बनाम सवाईराम व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

नम्बर 154 सन् 2025

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2025	प्रार्थी के वकील श्री कानाराम द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रार्थी की और से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से उभयपक्ष को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील धनाऊ के मौजा तालसर के खसरा संख्या 589/317 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि. एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी नोटिस की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 22.07.2025 को पेश हो। (कुसुमलता चौहान) सहायक कलक्टर (एसडीओ) चौहटन	
26/6/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवम नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन	Gautam Dhanaram Adv. 26.06.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:43 IST
Reason: SelfAttested